कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 4064 /12–1 देहरादून, दिनांक 15 जून, 2022.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:– जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसार कक्ष संख्या–1 में पूर्व से चल रही केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि हसतान्तण के सम्बन्ध में। **(Online No. FP/UK/SCH/40755/2019)**

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./09/08/2021/एफ.सी/1219 दिनांक–21.12.2022 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–1561/FP/UK/SCH/40755/2019 दिनांक– 29.12.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्द्रर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी ने अपने पत्र संख्या–**F-1392350/L&B/22-23/KVR/59(0)** व **F-1392350/L&B/22-23/KVR/59(3-1)** दिनांक–18.05.2022 **F-1392350/MISC/2022-23/KVR/63** दिनांक– 24.05.2022 के द्वारा इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:–

क्र.सं.	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर शपथपत्र के माध्यम से
1.	राज्य शासन अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है, कि वह इस सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करें।	महोदय 1978 में जब केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश की शुरूआत हुई थी तब से ये आई0डी0पी0एल0 द्वारा बनी हुई भवन में संचालित है, भवन का निर्माण आई0डी0पी0एल0 द्वारा करवाया गया था। अतः हमारे द्वारा उनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की मांग की गयी। परन्तु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश के पूर्ण रूप से बन्द हो जाने के कारण हमें इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्राप्त नही हो पाए।
2.	विद्यालय निर्माण हेतु जो भूमि आवंटित की गई थी, उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	तत्समय विद्यालय का निर्माण 2.41 हे0 में किया गया था एवं प्रारम्भ से ही विद्यालय इतनी ही भूमि में संचालित है लेकिन इस बाबत आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाए।
3.	यदि पहाड़ी क्षेत्र के नार्मस् (1.62 हे0) से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता हो तो अनुरोध है, कि वह शेष भूमि हेतु गैर–वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करें।	केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश आई0डी0पी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराये गए पुराने भवन में ही संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 2.41 हे0 है एवं विद्यालय भवन के साथ–साथ अन्य सुविधाओं के लिए भी भूमि की आवश्यकता है एवं इस सम्बन्ध में प्रपोजल (आवेदन) के साथ प्रमाण पत्र भी जमा व अपलोड किया गया है। प्रस्तावित भूमि का जिओ सर्वे रिपोर्ट भी आवेदन के साथ संकलित है, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल 2.41 हे0 बताया गया है।

अतः वांछित सूचना आनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे हार्डकापी में भी उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 4064 **/12–1 तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, वीरभद्र, ऋषिकेश को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष /Phone No.: 0135 – 2973317
वेबसाईट/Website: https://rishikesh.kvs.ac.in
ईमेल/Email: kvrishikesh.ppl@gmail.com
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F-1392350/MISC/2022-23/KVR/163

दिनांक: 24 मई, 2022

सेवा में,
प्रभागीय वन अधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

विषय : पत्रांक 1561/FP/UK/SCH/40755/2019 दिनांक 29 दिसम्बर 2021 के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बंधित पत्र अग्रिम कार्यावाही हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है |

सधन्यवाद

भवदीया

(सुधा गुप्ता)
प्राचार्या

प्राचार्य / Principal
के०वि० ऋषिकेश / K.V. Rishikesh

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
पत्र संख्या 129
पंजीकरण संख्या 9290
दिनांक 31/05/2022

संलग्नक :

1. पत्र संख्या F-1392350/L&B/22-23/KVR/59(अ) दि: 18/05/2022
2. पत्र संख्या F-1392350/L&B/22-23/KVR/59(ब) दि: 18/05/2022

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश

KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष /Phone No.: 0135 – 2973317
वेबसाईट/Website: https://rishikesh.kvs.ac.in
ईमेल/Email: kvrishikesh.ppl@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F-1392350/L&B/22-23/KVR/59(31)

दिनांक: 18 मई, 2022

सेवा में ,

अपर प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण , इंदिरानगर फ़ॉरेस्ट कालोनी

उत्तराखण्ड

प्रपोजल नंबर :- FP/UK/SCH/40755/2019

विषय :- पत्रांक 1561/FP/UK/SCH/40755/2019 दिंनाक 29 दिसंबर 2021 के सम्बन्ध में -

महोदय ,

उपरोक्त पत्र के माध्यम से आपके द्वारा निम्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी थी -

1. विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, अतः राज्य सरकार से ये अनुरोध है की वह इस संबंध में प्रमाण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करे |
2. तत्समय विद्यालय निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई थी, अतः राज्य सरकार द्वारा उससे सम्बंधित अभिलेख प्रेषित किया जाये |
3. यदि पहाड़ी क्षेत्र के नोर्म्स (1.62 हेक्टेयर) से अधिक क्षेत्र की आवश्कता हो तो राज्य सरकार से अनुरोध है की वह शेष भूमि हेतु गैर -वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करे |

इस सबंध में शपथ पत्र प्रेषित किया जा रहा है |

धन्यवाद

सुधा गुप्ता

प्राचार्य / Principal
के.वि. ऋषिकेश / K.V. Rishikesh

श्रीमती सुधा गुप्ता

प्राचार्य

के . वि. ऋषिकेश

केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष /Phone No.: 0135 – 2973317
वेबसाईट/Website: https://rishikesh.kvs.ac.in
ईमेल/Email: kvrishikesh.ppi@gmail.com

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F-1392350/L&B/22-23/KVR/59(a) दिनांक: 18 मई, 2022

प्रपोजल नंबर :- FP/UK/SCH/40755/2019

पत्रांक 1561/FP/UK/SCH/40755/2019 दिंनाक 29 दिसंबर 2021 के सम्बन्ध में शपथ पत्र

1. महोदय 1978 में जब केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश की शुरुआत हुई थी तब से ये IDPL द्वारा बनी हुई भवन में संचालित है, भवन का निर्माण IDPL द्वारा करवाया गया था अतः हमारे द्वारा उनसे सम्बंधित प्रमाण पत्र की मांग की गयी |परंतु IDPL ऋषिकेश के पूर्ण रूप से बंद हो जाने के कारण हमें इससे सम्बंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाए |
2. तत्समय विद्यालय का निर्माण 2.41 हेक्टेयर में किया गया था एवं प्रारंभ से ही विद्यालय इतनी ही भूमि में संचालित है लेकिन इस बाबत IDPL ऋषिकेश से कोई कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाए |
3. केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश IDPL द्वारा उपलब्ध कराये गए पुराने भवन में ही संचालित हैं जिसका क्षेत्रफल 2.41 हेक्टेयर है एवं विद्यालय भवन के साथ - साथ अन्य सुविधाओं के लिए भी भूमि की आवश्यकता है एवं इस सम्बन्ध में प्रपोज़ल(आवेदन) के साथ प्रमाणपत्र भी जमा व अपलोड किया गया है|
4. प्रस्तावित भूमि का जिओ सर्वे रिपोर्ट भी आवेदन के साथ संकलित है जिसमे भूमि का क्षेत्रफल 2.41 हेक्टेयर बताया गया है |

धन्यवाद

सुधा गुप्ता
सुधा गुप्ता

प्राचार्य (के . वि. ऋषिकेश)

प्राचार्य / Principal
केoविo ऋषिकेश / K.V. Rishikesh

VMC सदस्य 1
SRINIVAS.R

A. Bala.
अंजु बाला
VMC सदस्य 2

मीनाक्षी जैन

उपायुक्त, के.वि.सं.

देहरादून संभाग

उपायुक्त / Dy. Commissioner
केoविoसंo (क्षेoकाo) / K.V.S. (R.O)
सालावाला / Salawala
देहरादून / DEHRADUN

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/08/2021/एफ0 सी0/1219 दिनांक 21/12/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विशयः–जनपद देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं0–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/SCH/40755/2019)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1357/FP/UK/ SCH/40755/2019 दिनांक 02-12-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29/06/2021 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो कि मान्य योग्य नहीं है। दस्तावेजों की अनुपलब्धता में प्रस्ताव का अवलोकन करना संभव नहीं है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29/06/2021 का पुनः अवलोकन कर समस्त दस्तावेज़ सहित पूर्ण जानकारी (निम्नानुसार) इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1. राज्य शासन अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करें।
2. विद्यालय निर्माण हेतु जो भूमि आवंटित की गई थी, उससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. यदि पहाड़ी क्षेत्र के नार्मस् (1.62 हे0) से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता हो तो अनुरोध है कि वह शेष भूमि हेतु गैर–वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

सो0 अ0/प्रभारी देहरादून
आ. का. करें।

3257
29-12-21

भवदीया,

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

28-12-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

P.T.O.